



10-10-2025

क्षेत्राधिकार श्रीमान उपनिबन्धक बरेली बयनामा अर्द्ध नगरीय क्षेत्र आचारीय प्लाट, दर भूमि /-रूपये प्रति वर्ग मीटर, कोई निर्माण नहीं है, शत्रु/नजूल/चर्च/वक्फ/सीलिंग सम्पत्ति नहीं है, प्लाटकार भारतीय नागरिक है स्टाम्प शुल्क उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 संख्या 13/2025/914/94-2-2025-700(76) 2024 लखनऊ दिनांक 29.07.2025 के अनुसार अदा किया गया है।
बैनामा /-रूपये सरकारी कीमत /-रूपये, ई-स्टाम्प /-रूपये सर्टिफिकेट रां0 IN-UP
X दिनांक2025ई0 का संलग्न है।

मैं कि EVERGROVE ESTATES PRIVATE LIMITED द्वारा डायरेक्टर का हूँ विक्रेता।

जो कि आराजी भूमिधरी खेत नम्बरी 109 रकवई 1.2310है0 मे से 1/4 भाग मे से 0.0696है0 भूमि वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर ने द्वारा वयनामा इकरारी सोमपाल से खरीद की, जिसकी रजि0 दिनांक 14.11.2024ई0 को वही सं0 1 जिल्द सं0 15618 के पृष्ठ 331 से 358 मे क्रमांक 18945 पर कार्यालय स0र0साहब बरेली मे हुई है

व आराजी भूमिधरी खेत नम्बरी 109 रकवई 1.2310है0 मे से 1/4 भाग मे से 0.0696है0 भूमि वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर ने द्वारा वयनामा इकरारी हेमन्त कुमार से खरीद की, जिसकी रजि0 दिनांक 14.11.2024ई0 को वही सं0 1 जिल्द सं0 15938 के पृष्ठ 359 से 386 मे क्रमांक 17859 पर कार्यालय स0र0साहब बरेली मे हुई है

व आराजी भूमिधरी खेत नम्बरी 109 रकवई 1.2310है0 मे से 1/4 भाग मे से 0.0696है0 भूमि वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर ने द्वारा वयनामा इकरारी भानु प्रताप से खरीद की, जिसकी रजि0 दिनांक 14.11.2024ई0 को वही सं0 1 जिल्द सं0 15938 के पृष्ठ 387 से 412 मे क्रमांक 17860 पर कार्यालय स0र0साहब बरेली मे हुई है

व आराजी भूमिधरी खेत नम्बरी 112 व 113 कुल रकवई 1.0960है0 मे से 1/3 भाग मे से 0.3653है0 भूमि वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर ने द्वारा वयनामा इकरारी श्रीमती उर्मिला देवी आदि से खरीद की, जिसकी रजि0 दिनांक 24.01.2024ई0 को वही सं0 1 जिल्द सं0 14874 के पृष्ठ 285 से 312 मे क्रमांक 1266 पर कार्यालय स0र0साहब बरेली मे हुई है

व आराजी भूमिधरी खेत नम्बरी 109 रकवई 1.2310है0 मे से 3/4 भाग 0.2528है0 भूमि वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर ने द्वारा वयनामा इकरारी सोमपाल आदि से खरीद की, जिसकी रजि0 दिनांक 08.11.2023ई0 को वही सं0 1 जिल्द सं0 14700 के पृष्ठ 45 से 70 मे क्रमांक 16425 पर कार्यालय स0र0साहब बरेली मे हुई है

व आराजी भूमिधरी खेत नम्बरी 112 व 113 रकवई 1.0960है0 मे से 1/3 भाग 0.3653है0 भूमि वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली जिसको फर्म मजकूर ने द्वारा वयनामा इकरारी टेकरचरन उर्फ छोटे लाल से खरीद की, जिसकी रजि0 दिनांक 03.02.2024ई0 को वही सं0 1 जिल्द सं0 14899 के पृष्ठ 189 से 214 मे क्रमांक 1854 पर कार्यालय स0र0साहब बरेली मे हुई है

बाद खरीदारी के फर्म मजकूर का नाम कागजात माल सरकारी खतौनी मे विधिवत रूप से दर्ज है, तथा फर्म मजकूर उपरोक्त भूमि को इकजाई करके उसका तलपट मानचित्र फाईल नम्बर BDA/LD/24-25/0248/परमित नम्बर 03172/BDA/LD/24-25/0248/11062025 बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत कराकर उस पर प्लाट्स कायम किये।

जिसमे से प्लाट नं0 क्षेत्रफल वर्ग मीटर क्रेता वयनामा हाजा द्वारा क्रय करना चाहते है और फर्म मजकूर उसको विक्रय करना चाहती है जिसकी कीमत फर्म मजकूर को माकूल व मुनासिब मिल रही है जो फर्म मजकूर को स्वीकार है

लिहाजा मैंने वहसियत डायरेक्टर उक्त फर्म के के वदुरुस्ती होश व हवास मे खूब सोचकर व समझकर विला किसी जन्न व दबाब के वही प्लाट नं0 क्षेत्रफल वर्ग मीटर वाकै ग्राम इटौआ वेनीराम पर0 तह0 व जिला बरेली महदूदा जैल ममलूका व मकबूजा फर्म मजकूर जो कहीं किसी तौर पर मकफूल या मुत्तकिल देनदार किसी मुतालवे या मुवाखजे या वक्फ व जमानत व कुर्की व कर्जेजात सरकारी व गैर सरकारी व इक्यूटिविल मार्गेज व वय व रहन व दान आदि में नहीं है और न ही किसी बैंक अथवा संस्था से कोई ऋण लिया गया है गर्ज कि तमामी मुवाखजे जात कानूनी और कुर्कियों से बिल्कुल पाक व साफ मुवर्दा है और ऐसा ही इत्मिनान अपनी जाती जिम्मेदारी पर क्रेता को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खारजी के विलएवज मु0 ,000/-रूपये के वदस्त

को बेच डाला और वय कतई कर दिया जरे समन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर शय मुवैया हाजा पर क्रेता को मालिकाना काबिज दखील व मुतसरिफ कर दिया अब फर्म मजकूर व वारिसान व कायम मुकामान फर्म मजकूर का शय मुवैया हाजा में कोई हक व मिल्क किसी किसम का वाकी नहीं रहा न आयन्दा को होगा वय का मिल तौर पर नाफिज हो गई तकाबिजुल बदलैन अमल में आ गया यह शर्त साफ तौर पर करार पाई कि अगर सानीउलहाल कोई सहीम या शरीक या हकदार या हिस्सेदार या किफालतदार या उज्रदार या अन्य जो कोई शख्स, दावेदार पैदा होकर दावा बावत शय मुवैया हाजा के करे और उसके दावे से शय मुवैया हाजा का जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्यार वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हर्जे व खर्चे का फर्म मजकूर व वारिसान व कायम मुकामान फर्म मजकूर से हासिल होगा, विक्रीत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बैनामा विलेख, दान पत्र, वसीयतनामा, इकरारनामा मुहायदावय, मुख्यारनामा आदि किसी अन्य के पक्ष में नहीं किया गया है भूमि का स्वामित्व, कब्जा व चौहददी मे कोई विवाद नहीं है और न ही कोई व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान है प्रस्तुत लेखपत्र उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये मालिकाना कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर दस्तावेज लेखक द्वारा तैयार किया गया है जिसका सत्यापन दस्तावेज पर हस्ताक्षरित साक्षीगण व साक्ष्यों के द्वारा किया गया है, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकारों की है और उसका कोई उत्तर दायित्व लेखक व टाईपकर्ता का नहीं होगा, लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि सनद हो फकत।

हदूदअर्वा-

पूरब - पश्चिम -
उत्तर - दक्षिण -

पैमाईश:- संलग्न नक्शा बयनामा लेखानुसार है।

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते है कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के क्षेत्राधिकार में दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है। विक्रीत सम्पत्ति मार्ग से लगभग मीटर की दूरी पर स्थित है मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या क्रमांक कालम में बी0 कोड नं0 निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। प्रलेख में दिये गये विवरण की पूर्ण जिम्मेदारी हम पक्षकारों की होगी धारा 27 स्टाम्प अधिनियम का पूर्ण पालन किया गया है, हम पक्षकार घोषित करते है कि हस्तान्तरित भूमि का गाटा संख्या महायोजना मे प्रस्तावित भू-उपयोग, पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीडा स्थल तथा महायोजना मार्ग होने की दशा में भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने की दशा मे ध्वरतीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेता उत्तरदायी होगा।

